भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1952
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैंसर दवाओं की कीमत में कमी

1952. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब के अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने का निर्देश दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पहल इस तथ्य के मद्देनजर की गई है कि इन तीन दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्माताओं से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई;

(घ) क्या यह सच है कि कैंसर रोधी दवा निर्माताओं को नकली दवाओं की जांच के लिए क्यूआर कोड लगाने की सलाह दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना 30/2024 के माध्यम से तीन कैंसर-रोधी दवाओं अर्थात ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब के संबंध में सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में यथालागू कर और शुल्क शामिल हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उपभोक्ता को कम करों और शुल्कों का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क की छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करने तथा कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म II/V दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में, विनिर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी कम कर दिया और एनपीपीए के पास सूचना दाखिल की। **(अनुलग्नक)**

(घ) और (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषधि नियमावली, 1945 को दिनांक 17.11.2022 को जी.एस.आर.823(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था, जो 1 अगस्त, 2023 को लागू हो चुकी हैं, जिनमें प्रावधान है कि अनुसूची एच2 में विनिर्दिष्ट औषधि विनिर्माण उत्पादों के 300 ब्रांडों के विनिर्माता इसके प्राथमिक पैकेजिंग लेबल, अथवा प्राथमिक पैकेज लेबल में अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में, द्वितीयक पैकेज लेबल पर बार कोड या क्विक रेसपोंस कोड प्रिंट करें अथवा चिपकाएं जिस पर विभिन्न डेटा अथवा सूचना प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के साथ सुपाठ्य स्थिति में संग्रहीत हो।

<u>अनुलग्नक</u>

दिनांक 06.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1952 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कमी के कारण एमआरपी में कमी के संबंध में कंपनियों द्वारा एनपीपीए के समक्ष दायर की गई सूचना।

डुरवालुमाब

क्र.सं.	फॉर्मुलेशन	कम्पनी	यूनिट	पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)	संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)
1	इम्फिन्ज़ी 120 एमजी इंजेक्शन 2.4एमएल(1.00 शीशी) (डुरवालुमाब इंजेक्शन)	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति शीशी	45500	40790.96
2	इम्फिन्ज़ी 500 एमजी इंजेक्शन 10एमएल(1.00 शीशी) (डुरवालुमाब इंजेक्शन)	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति शीशी	189585	171324.27

ओसिमेरटिनिब

क्र.सं.	फॉर्मुलेशन	कम्पनी	यूनिट	पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)	संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)
1*	टैग्रिसो 40 एमजी टेबलेट 10	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति 10 गोलियाँ	150154	140769.38
2	टैग्रिसो 80 एमजी टेबलेट 30	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति 30 गोलियाँ	455010	416492.48
3	टैग्रिसो 80 एमजी टेबलेट 10	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति 10 गोलियाँ	151670	138830.83

ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

क्र.सं.	फॉर्मुलेशन	कम्पनी	यूनिट	पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)	संशोधित एमआरपी (रुपए में) (कर सहित)
1	एनहेर्ट्टू 100एमजी/5एमएल इन्जेक्शन शीशी (1.00 शीशी) (ट्रैस्टुजुमैब शीशी)	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड	प्रति शीशी	187000	167069.17

* जैसा कि कंपनी द्वारा दिनांक 19.11.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, बीसीडी के शून्य हो जाने के कारण नीचे की ओर संशोधन तब लागू किया जाएगा जब बीसीडी राहत से लाभान्वित होने वाले स्टॉक को बाजार में वाणिज्यिक बिक्री के लिए जारी किया जाएगा।

*****